



प्रेषक,
सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13

लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं० दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद बस्ती चालू कार्य पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-24797/CE-HQ1/BLKMUKH/BAS/2026-27, दिनांक 22.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-058 लेखाशीर्षक 505404337134824 पं० दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को दो लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण चालू कार्य के अंतर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य हेतु उसके सम्मुख अंकित धनराशि **रु० 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति (%)	योजनावार स्वीकृत लागत	प्रावधिक स्वीकृत लागत	बचत	बचत उपरांत लागत	अब तक आवंटन	गत वित्तीय वर्ष में समर्पित धनराशि	समर्पण के उपरान्त अद्यतन अवशेष	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(धनराशि रु० लाख में)											
1	प्रा.ख. बस्ती	जनपद बस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 वाराणसी से ककरहवा मार्ग (अ०जि०मा०) के कि०मी० 109.00 से बहादुरपुर विकास खण्ड (लम्बाई 10.300 कि०मी०) को 02 लेन से जोड़ने हेतु मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	100	2993.97	2993.97	532.00	2461.97	2107.76	0.00	354.21	300.00
योग :-											300.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2026 एवं सम्बन्धित शासनादेशों के समस्त प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य के संबंध में कार्य-प्रगति/भुगतान की भौतिक पुष्टि कर लेने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण/व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑन-लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
 7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371348 पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को दो लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5. मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11. राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अधीक्षण अभियंता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13. लोक निर्माण अनुभाग-1/6/10/12 एवं 14.
14. नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
15. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।